राजस्थान सरकार
राजस्थान (युप-9) विभाग

पृक्ति- 2(35)राज-9/भू. रू. /2018

समस्त जिला कलकटर्स,
राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान भू-राजस्थ (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृष्ट प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम,
2007 के अन्तर्गत व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम, 2007
के नियम 2 के उप-नियम (1) (2) में परिमाणित खातेदार ही अपनी खातेदारी भूमि का अकृष्ट
प्रयोजन हेतु, उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। लीजधारी उक्त प्रावधानो के
इस्तेमाल से ली गई भूमि का अकृष्ट प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन नहीं करा सकता है।

भविष्यवादी

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान (युप-6) विभाग को राजस्थान विभाग की वेबसाइट पर
   अपलोड करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव